131

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2785–दो/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 09–08–2012 – पारित व्दारा अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर – प्रकरण क्रमांक 6/2010–11 निगरानी

करिया पुत्र खंजुआ अहिरवार
ग्राम टोरिया तहसील बड़ामलेहरा
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

पुन्ना पुत्र खजुआ अहिरवार
ग्राम टोरिया तहसील बड़ामहेहरा
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एम0पी0भटनागर)
(अनावेदक स्वयं उपस्थित)

आ दे श

(आज दिनांक 16– 1 –2017 को पारित)

यह निगरानी व्दारा अपर कलेक्टर, छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 6 अ–3/09–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9–8–2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

आवेदक ने तहसीलदार बड़ामलेहरा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि उसके स्वत्व की ग्राम टोरिया स्थित भूमि सर्वे नंबर 90/2 रकबा 2.25 हैक्टर है जिसका सीमांकन कराना चाहता है , सीमांकन किया जाय। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 16 अ-12/ 99-2000 पंजीबद्ध किया तथा भूमि का सीमांकन कराते हुये प्रतिवेदन प्राप्त किया एंव आदेश दिनांक 9-2-2010 पारित करके सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी क्रमांक 06 /2010-11 प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर छतरपुर ने पक्षकारों को श्रवण कर आदेश दिनांक 9-8-12 पारित किया तथा अनावेदक की निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 9-2-2010 निरस्त किया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि नक्शा तरमीम का प्रकरण क्रमांक 16 अ-12/2009-10 इस प्रकरण में संलग्न कर पक्षकारों की उपस्थिति में पुनः सीमांकन की कार्यवाही संपादित की जावे। अपर कलेक्टर के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने । अनावेदक स्वयं् उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि उभय पक्ष की भूमि मध्य प्रदेश शासन से पटटे पर प्रदानकी गई भूमि है । निश्चित् है कि जब भूमि के पटटे उभय पक्ष को दियें होंगे, मौके पर भूमि चिन्हित कराकर कब्जा दिया गया होगा। प्रकरण में यह तथ्य आया है कि आवेदक ने भूमि के सीमांकन

होने के वाद तथा नक्शा तरमीम कराने के वाद अनावेदक से मौके पर जाकर कहा कि जिस भू भाग को आप जोत रहे हैं अब उसे वह जोतेगा। तब जाकर उसे तहसील में संपर्क करने पर सीमांकन कार्यवाही एंव नक्शा तरमीम होने का पता चला। अपर कलेक्टर व्दारा आदेश दिनांक 9-8-12 में निर्णीत किया है कि भूमि के बंटन के समय पटटे के साथ जारी किये गये नक्शे की प्रति एंव मूल प्रकरण में संलग्न नक्शा के अनुसार सीमांकन की कार्यवाही तहसीलदार को करना चाहिये एंव पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहकर उनके सामने कार्यवाही करना थी, जो नहीं की गई, जिसके कारण पक्षकारों को न्यायदान की दृष्टि से अपर कलेक्टर छतरपुर ने आदेश दिनांक 9-8-12 से तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर पक्षकारों के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही कर भूमि के सीमांकन करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पुर्नकार्यवाही में उभय पक्ष को तहसीलदार के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव — अपर कलेक्टर, छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 06/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-8-2012 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर